झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं०सं०–8 / ज० सं०(नि०)बाह्य–05 / 2012– / राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री दीनानाथ सिंह, सेवा निवृत्त सहायक अभियंता ने जबकि वे जिला अभियंता, प.सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित थे घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री दीनानाथ सिंह, सेवा निवृत्त सहायक अभियंता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम–43 **'B'** के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री दीनानाथ सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री अशोक कुमार मिश्र, भा.प्र.से. (सेवा निवृत्त), के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखंड, राँची द्वारा मनोनीत पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव पर सचिव / विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः– श्री अशोक कुमार मिश्र, सेवा निवृत्त भा.प्र.से., टी.ए. डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची / उप सचिव, पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखंड, राँची / श्री दीनानाथ सिंह, सेवा निवृत्त सहायक अभियंता, ग्राम–रामगढ़, पो.–रामगढ़, ज़िला–कैमूर (भभुआ) बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– / राँची, दिनांक –

प्रतिलिपिः–अनुबंध की प्रति के साथ–श्री अशोक कुमार मिश्र, सेवा निवृत्त भा.प्र.से., टी. ए. डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची / उप सचिव, पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखंड, राँची / श्री दीनानाथ सिंह, सेवा निवृत्त सहायक अभियंता, ग्राम–रामगढ़, पो.–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ) बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

5– उप सचिव, पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. विभाग से अनुरोध है कि अपने स्तर से इस विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मनोनीत करें तथा कृत कार्रवाई की सूचना से विभाग को अवगत करायें।

<u>अनुलग्नकः–यथोक्त।</u>

ह0 / –

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 2657 / राँची, दिनांकः– 19-08-14

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / विभागीय वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।